





केन्द्रीय कर और सीमा शुल्क के मुख्य आयुक्त का कार्यालय Office of the Chief Commissioner of Central Tax & Customs केन्द्रीय वस्तु एवं सेवाकर विशाखपट्टणम क्षेत्र Central GST Visakhapatnam Zone

स्थापना आदेश सं 2**3**/2020 <u>Establishment Order (NGO) No. 2**3**/2020</u> दिनांक 11 दिसंबर 2020 Dated 11TH December 2020

विकास आयुक्त कार्यालय, वीएसईजेड, विशाखापट्टणम के कार्यमुक्ति आदेश सं .2 (240)/2018/VSEZ/Estt./ 6645, दिनांक 27 नवंबर,2020 द्वारा श्री पी गुण सागर, अधीक्षक के वीएसईजेड से प्रतावर्तन के अनुसरण में, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से निम्न तालिका में प्रस्तुत अधीक्षकों को उनके नाम के सामने दिये गए आयुक्तालय मे, अगले आदेश तक के लिये स्थानांतरित / तैनात किया जाता है।

Pursuant to the repatriation of Shri P Gun Sagar, Superintendent from VSEZ, Visakhapatnam vide Development Commissioner, VSEZ, Visakhapatnam relieving order No.2 (240)/2018/VSEZ/Estt./ 6645 dated 27.11.2020, with the approval of the competent authority, the following Superintendents are transferred / posted to the Commissionerates mentioned against each with immediate effect and until further orders.

संक्र S1	नाम (श्रीमती / श्री)	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानांतरित / तैनात कियागया
No.	Name (Smt / Shri)	Present Place of posting	Posted / Transferred to
1	चवलि देवयानी Chavali Devayani	वैजाग जी एस टी आयुक्तालय Vizag GST Commissionerate	लेखा परीक्षा आयुक्तालय, वैजाग Audit Commissionerate, Vizag
2	पी गुण सागर	वीएसईजेड से प्रतावर्तन	वैजाग जी एस टी आयुक्तालय
	P Gun Sagar	Repatriation from VSEZ	Vizag GST Commissionerate

- 2. श्री पी गुण सागर, अधीक्षक, मुख्य कार्यालय में दिनांक 07.12.2020 के पूर्वाह्न में कार्य ग्रहण किये थे। अपने नए तैनाती कार्यालय में कार्यग्रहण करने के लिए, अधीक्षक को अपराह्न 11.12.2020 को मुख्य कार्यालय से कार्य मुख्त किया गया है।

 Shri P Gun Sagar, Superintendent assumed charge in CCO (VZ) on repatriation from VSEZ in the forenoon of 07.12.2020 and is relieved in the afternoon of 11.12.2020 to enable them report in the new place of posting.
- 3. निवेदन है कि दस्तावेजों में आवश्यक प्रविष्टियाँ की जाए।Necessary entries may be made in relevant records.
- 4. यह आदेश मुख्य आयुक्त की मंजूरी के साथ जारी किया गया है।This issues with the approval of the Chief Commissioner of Central Tax & Customs, Visakhapatnam Zone.

(एम श्रीकान्त / M Sreekanth) संयुक्त आयुक्त / Joint Commissioner

[Issued from file C.No.II/03/06/2020-CC (VZ) Estt.PF IV]